न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

ा संख्या– 30/2019
 प्रस्तुति दिनांक–03.04.2019
र्णय दिनांक–30.12.2020

1. कमलेश पुत्र मेवालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
2. राजेश पुत्र मेवालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)

वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र गजानन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. छीतर पुत्र रामचन्द्रा जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्रा जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. घासी पुत्र रामचन्द्रा जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. नाथू पुत्र मोहन जाति कीर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. रामा देवी पत्नि सीताराम जाति बैरवा निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. सीता देवी पत्नि बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. गलोल देवी पत्नि रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. तहसीलदार, पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. सोसर देवी पत्नि नानगराम जाति कीर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीगण–श्री विवेक चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी–श्री एन.के. शर्मा (02 ता 05 एवं 07 ता 08 एवं 10)
अधिवक्ता–श्री राजाराम चौधरी (प्रतिवादी संख्या 06)

वाद बाबत् तकास्मा

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

निर्णय

दिनांकः–30.12.2020

पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी ख0न0 2300/23 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। उक्त आराजी में वादीगण का 39/82 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। शैष हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजित है, किन्तु मौके पर पक्षकारान् अपने हिस्से अनुसार आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होने का प्रयास करते हुए वादीगण को परेशान कर रहे है, इस कारण वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपने हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विधिवत् तकास्मा करवाकर अपने नाम की पृथक जमाबंदी बनवा लेवे तथा नक्शा शीट में तरमीम करवा लेवें। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत करने का प्रयास किया तथा अपने दर्ज हिस्से से अधिक भूमि पर जोर जबरदस्ती काश्त करने का प्रयास किया, इस कारण वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। अतः वादीगण द्वारा श्रीमान् के समक्ष यह वाद प्रस्तुत किया है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 एवं 07, 08 एवं 10 की तरफ से अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा ने वकालतनामा मय जवाब पेश कर निवेदन किया कि दर्ज हिस्से एवं राजस्व नियम 18 से 21 की पालना में नियमानुसार तकास्मा किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 06 की तरफ से अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद ग्रस्त भूमि पक्षकारान् के नाम केवल रिकॉर्ड में संयुक्त दर्ज है जबकि मौके पर प्रतिवादी न. 06 का कब्जे हिस्से अनुसार पहले से ही जो इसके पति के कब्जे मे चला आ रहा था, उसी अनुरूप है, मौके पर प्रतिवादी न. 06 के हिस्से में मकान बना हुआ है, पेड लगे हुए है परन्तु बीसलपुर विस्थापितो हेतु आरक्षित हो जाने से केवल टाईटल प्रतिवादी के नाम होने से प्रतिवादी न. 06 ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। अतः प्रतिवादी संख्या 06 जहाँ काबिज हैं। उसी अनुरूप तकास्मा किया जाना आवश्यक है। मौके पर कब्जे अनुसार तकास्मा किया जाता है, तो प्रतिवादी न. 06 को कोई एतराज नही है। अतः प्रतिवादी न. 06 का मौके पर कब्जा है उस भू-भाग को प्रतिवादी के नाम दर्ज कर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के सिद्धान्त के अनुसार सडक पर समान हिस्से के अनुसार तकास्मा कर जमाबन्दी पृथक कर दी जावें। कार्यालय हाजा के पत्रांक–भू.अ./2020/2235 दिनांक 15.09.2020 से चाही गई तकास्मा रिपोर्ट तहसीलदार पीपलू के पत्रांक–2740 दिनांक 03.11.2020 से प्राप्त हो चुकी है।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर तकास्मा कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर एवं अगूठा निशानी है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाद वादी डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति दी।

अतः दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार ग्राम पीपलू, पटवार हल्का पीपलू, भू.अ.नि. पीपलू तह0 पीपलू में स्थित भूमि आराजी ख0न0 2300/44 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा वादी संख्या 01 ता 02 कमलेश, राजेश पि0 मेवाराम जाति गूर्जर सा. हरिपुरा के हिस्से में संयुक्त रूप से दर्ज रहेगी, आराजी ख0न0 2300/23 रकबा 00–04 बीघा प्रतिवादी संख्या 05 नाथू पुत्र मोहन हि0 1/4, प्रतिवादी संख्या 10 सोसर देवी पत्नि नानगराम हि. 1/4, प्रतिवादी संख्या 06 रामा देवी पत्नि सीताराम हि. 1/4, एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 छीतर, लक्ष्मण, घासी पि. रामचन्द्रा हि. 1/4 के हिस्से में संयुक्त रूप से रहेगा। आराजी ख0न0 2300/42 रकबा 00–19 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में दर्ज रहेगा एवं आराजी ख0न0 2300/43 रकबा 01–00 बीघा प्रतिवादी संख्या 07 सीता देवी पत्नि बंशीलाल हि. 1/2 एवं गलोल पत्नि रामेश्वर हि. 1/2 के हिस्से में संयुक्त रूप से रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा अनुसार तरमीम करें। तहसीलदार, पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक–30.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हों।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
जिला–टोंक

पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner